



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बड़ौत

दिनांक 02.03.2025

थाना बड़ौत पुलिस एवं स्वाट बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 123/25 धारा 140(2) बी.एन.एस का सफल अनावरण करते हुए अपहर्त 02 व्यक्तियों को सकुशल बरामद कर 02 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने वाले 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 03 अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 02 प्लास्टिक की रस्सी व 01 अंगौछा, 01 सफेद बनियान का कपड़ा व घटना में प्रयुक्त 05 मोबाइल फोन, 01 गाड़ी महिन्द्रा XUV 3XO मय 02 नम्बर प्लेट जिनका नम्बर UP-16-EJ-5200, 03 फर्जी मोहर व 01 फाइल फर्जी दस्तावेज बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.03.2025 को थाना बड़ौत पर वादी श्री बिलाल पुत्र गुलजार निवासी पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के भाई नूर मौहम्मद व उसके दोस्त शावेज का अपहरण कर मोबाइल से कॉल करके 02 करोड़ रुपये फिरौती की मांग की गयी तथा फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 123/25 धारा 140(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शांतिर/वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस एवं स्वाट बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 123/25 धारा 140(2) बी.एन.एस का सफल अनावरण करते हुए अपहर्त 02 व्यक्तियों को सकुशल बरामद कर 02 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने वाले 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 03 अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 02 प्लास्टिक की रस्सी व 01 अंगौछा, 01 सफेद बनियान का कपड़ा व घटना में प्रयुक्त 05 मोबाइल फोन, 01 गाड़ी महिन्द्रा XUV 3XO मय 02 नम्बर प्लेट गाड़ी जिनका नम्बर UP-16-EJ-5200, 03 फर्जी मोहर व 01 फाइल फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व धारा 3/25 आयुध अधिनियम की बढोत्तरी की गयी।

बरामदगी का विवरण-

- 03 अवैध तमंचे .315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस .315 बोरा।
- 02 प्लास्टिक की रस्सी ,01 अंगौछा, 01 सफेद बनियान का कपड़ा।
- घटना में प्रयुक्त 05 मोबाइल फोन, 01 गाड़ी महिन्द्रा XUV 3XO जिसका अस्थायी नं0 T0824DL8106F
- 02 नम्बर प्लेट जिनका नम्बर UP-16-EJ-5200।
- 03 फर्जी मोहर व 01 फाइल फर्जी दस्तावेज।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-शिवम पुत्र सुधीर निवासी ग्राम लिलोनखेड़ी थाना व जनपद शामली ।
- 2-रजत पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम गोगढ पिण्डौरा थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 3-प्रद्युम पुत्र संजीव निवासी ग्राम बिटावदा थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर ।
- 4-विजय पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम बरवाला थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि शिवम, प्रद्युम व नूरमोहम्मद एमसीएस सर्विसेज कम्पनी सेक्टर 90 भूटानी थम नोएडा में काम करते हैं नूरमोहम्मद कम्पनी का मालिक है । 1. शिवम पुत्र सुधीर निवासी ग्राम लिलोनखेड़ी थाना व जनपद शामली, 2. रजत पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम गोगढ पिण्डौरा थाना झिंझाना जनपद शामली 3. प्रद्युम पुत्र संजीव निवासी ग्राम बिटाबदा थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर 4. विजय पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम बरवाला थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर 5. बिजेन्द्र मलिक पुत्र अज्ञात निवासी गौरसिटी नोएडा, 6. अमन पुत्र रणवीर निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत, 7-अजय पुत्र नामालूम निवासी अज्ञात, 8. अनुज अज्ञात, 9. राहुल शर्मा पुत्र सुरेन्द्र शर्मा निवासी एरटी थाना कैराना जनपद शामली सभी दोस्त हैं । उपरोक्त अभियुक्तों ने योजनाबद्ध तरीके से रुपये कमाने के लालच में नूर मौहम्मद व सावेज का गाड़ी महिन्द्रा XUV 3XO से नोएडा सेक्टर 90 से अपहरण किया था तथा इनके परिजनों को फोन करके 02 करोड़ रुपये फिरौती की मांग की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी/ निरीक्षक अपराध श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपता।
- 2-स्वाट टीम प्रभारी उ०नि० श्री सूर्यदीप सिंह मय टीम जनपद बागपता।
- 3-व०उ०नि० श्री सागर सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपता।
- 4-उ०नि० श्री संजय सिंह पूनियाँ थाना बड़ौत जनपद बागपता।
- 5-उ०नि० श्री विकास कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपता।
- 6-है०का० 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपता।
- 7-है०का० 316 नागेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपता।
- 8-है०का० 661 गंगाप्रसाद थाना बड़ौत जनपद बागपता।
- 9-है०का० 681 दीपक कुमार स्वाट टीम जनपद बागपता।
- 10-है०का० 680 अमरजीत स्वाट टीम जनपद बागपता।
- 11-का० 666 रघुवीर सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपता।
- 12-का० 463 पवन नागर थाना बड़ौत जनपद बागपता।
- 13-का० 525 महेशचन्द थाना बड़ौत जनपद बागपत
- 14- का० 403 नितिन त्यागी स्वाट टीम जनपद बागपता।
- 15- का० 402 विशाल पुनिया स्वाट टीम जनपद बागपता।
- 16- का० 478 अजीत स्वाट टीम जनपद बागपता।
- 17- का० 25 राजीव स्वाट टीम जनपद बागपता।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनाँक – 02.03.2025

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

अय्यूब पुत्र सलाऊदीन निवासी ग्राम अशरफाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सन्नी कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-हो0गा0 572 प्रवेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-पीआरडी कृष्णपाल थाना रमाला जनपद बागपत ।